ज्ञापांक 994 /परि.
पुलिस महानिदेशक का कार्यालय,बिहार,पटना।
पटना, दिनांक– 24/11/20

सेवा मे,

निदेशक,
सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग,
बिहार, पटना।

विषय :– **पुलिस परिवहन मुख्यालय, बिहार, पटना की रद्दघोषित कुल– 51 (एकावन) अद्द पुलिस गाड़ियों की सार्वजनिक निलामी द्वारा बिकी की सूचना को प्रचारित/प्रसारित करने के सम्बन्ध में।**

------0------

निदेशानुसार उपरोक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि राज्य पुलिस परिवहन मुख्यालय, बिहार, पटना की रद्दघोषित कुल– 51 (एकावन) अद्द पुलिस वाहनों की सार्वजनिक निलामी की तिथि दिनांक– 23.12.2020 को 11.00 बजे निर्धारित की गई है। तद्नुसार सार्वजनिक निलामी से संबंधित विज्ञापन–सूचना CD सहित इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजी जा रही है।

अतः अनुरोध है कि संलग्न सार्वजनिक निलामी की सूचना का प्रकाशन सरकारी नियमानुसार दैनिक समाचार–पत्रों में प्रकाशित कराकर इसकी सूचना इस कार्यालय को भी देने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक–यथोपरि।

23/11/20
पुलिस महानिरीक्षक के सहायक (निरीक्षण),
बिहार, पटना

प्रतिलिपि :–

आई0टी0 मैनेजर, पुलिस मुख्यालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ । संलग्न निविदा को बेवसाईट पर अपलोड किया जाए एवं सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, बिहार पटना को इस प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाए । विज्ञापन सूचना सी0डी0 सहित संलग्न हैं ।

अनुलग्नक :–यथोपरि ।

23/11/20
पुलिस महानिरीक्षक के सहायक (निरीक्षण),
बिहार, पटना

पुलिस महानिदेशक का कार्यालय, बिहार, पटना ।
सार्वजनिक निलामी सूचना संख्या–02/2020

राज्य पुलिस परिवहन मुख्यालय, बिहार, पटना की निम्नलिखित रद्दघोषित कुल– 51 (एकावन) अद्द वाहनों (एम्बेस्डर कार–08 अद्द, इंडिगो–04 अद्द, बस–01 अद्द, एम्बुलेन्स–01 अद्द, जिप्सी–02 अद्द, कमाण्डर जीप–02 अद्द, थार जीप–04 अद्द, बुलेट मोटरसाईकिल–01 अद्द, हीरो होन्डा मोटरसाईकिल–02 अद्द, कावासाकी मोटरसाईकिल–04 अद्द एवं जीप–01 अद्द, डी–बुलेट प्रुफ एम्बेस्डर कार–16 अद्द, डी–बुलेट प्रुफ–स्कार्पियो–05 अद्द) की सार्वजनिक निलामी दिनांक– 23-12-2020 को प्रातः 11.00 बजे एच.क्यू.आर.टी., नवीन पुलिस केन्द्र, कैम्पस लोदीपुर, पटना में डाक द्वारा निम्न शर्तो के अधीन की जायगी।

निलामी की प्रक्रिया में निम्न शर्त्ते हैं :–

1– उपरोक्त गाडियॉ, जिस स्थिति में है, उसी स्थिति में दी जाएगी । इच्छुक व्यक्ति किसी भी कार्य दिवस को कार्यालय अवधि में उपर्युक्त वाहनों का निरीक्षण कर सकते हैं ।

2– निलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति को आधार कार्ड एवं पैन कार्ड की छाया–प्रति संलग्न करना आवश्यक होगा ।

3– निलामी डाक आरम्भ होने के पूर्व, भाग लेने वाले इच्छुक प्रत्येक व्यक्ति को सिक्यूरिटी के रूप में प्रति वाहन रूपये–5,000/– (पॉच हजार रूपये) मात्र की दर से बैंक ड्राफ्ट अग्रिम के रूप में A.I.G.(W) Bihar, Patna के नाम से जमा करना होगा ।

4– सभी वाहनों के अधिकतम डाक की राशि पर 18 (अठ्ठारह) प्रतिशत G.S.T की राशि का भुगतान सफल बोलीकर्त्ता को अलग से करना आवश्यक होगा ।

5– पुलिस विभाग का कोई कर्मी या उसका परिवार इस निलामी में भाग नहीं लेगा । निलामी समाप्त होने के बाद असफल डाक बोलने वाले बीडरों का जमा ड्राफ्ट तुरन्त वापस कर दिया जायेगा । उच्चतम डाक बोलने वाले व्यक्ति को निलामी के पश्चात् उसी समय गाड़ी के मूल्य की आधी राशि जमा करने होगें । शेष राशि एक सप्ताह के भीतर जमा करना होगा अन्यथा जमा राशि जप्त करते हुए उनकी निलामी रद्द कर दी जायगी ।

अद्योहस्ताक्षरी को यह अधिकार सुरक्षित है कि सरकारी हित में किसी भी डाक को स्वीकृत या अस्वीकृत कर सकते हैं। अद्योहस्ताक्षरी को बिना कारण बताए निलामी की कार्रवाई संषोधित, स्थगित या रद्द करने का अधिकार सुरक्षित है।

23/11/20

पुलिस महानिरीक्षक के सहायक (निरीक्षण),
बिहार, पटना